पमरे ने अप्रैल से अगस्त तक गंदगी फैलाने वालों 2739 पर कार्रवाई की, रुपये 03 लाख 60 हजार से अधिक जुर्माना वसूला

जबलपुर 27 सितम्बर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, भोपाल एवं कोटा तीनों मण्डलों के सभी स्टेशनों पर यात्रियों को स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में स्वच्छ, सुखद एवं पर्यावरण अनुकूल वातावरण मुहैया कराने के प्रति लगातार प्रयासरत है। महाप्रबंधक श्री सुधीर कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन तथा प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के निर्देशन में पमरे मण्डलों के रेलवे स्टेशनों एवं रेलगाड़ियों में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाती है, साथ ही नियमित उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को भी जागरुक किया जाता है। इसके अंतर्गत यात्रियों से स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने, धूम्रपान नहीं करने तथा यहां वहां गंदगी नहीं करने का अनुरोध किया जाता है। बार–बार समझाइश के बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ रेल प्रशासन द्वारा समय–समय पर रेलवे अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने की कार्यवाही की जाती है।

मुख्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि माह अगस्त 2022 में पमरे के तीनों मण्डलों में कुल 900 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई तथा उनसे 01 लाख 24 हजार 440 रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अगस्त 2022 तक गन्दगी फैलाने वालों के विरुद्ध चलाये गए अभियान में कुल 2739 व्यक्तियों के मामले पकडे गए, जिनसे कुल 03 लाख 60 हजार 800 रूपये जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा जुर्माने के साथ साथ ऐसे लोगों को समझाईश भी दी जाती है। साथ ही गंदगी से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए स्टेशन परिसर स्वच्छ रखने के लिए अनुरोध भी किया जाता है।

रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, रेल परिसर में कृपया गंदगी न फैलाएं। स्टेशन का वातावरण स्वच्छ, सुंदर रखने में रेल प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सहभागी बनें। गंदगी करने वालों के विरुद्ध आगे भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे ।

संख्याः पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/419/2022 दिनांक 27.09.2022

सम्माननीय संपादक

कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग करें.

‘सधन्यवाद

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर